27-04-2023

राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही मे 28 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के सुरक्षित विवरण रखने के लिये राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System- NGDRS) को कार्यान्वित कर लिया है।

त्वरित मुद्दा?

- भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources- DoLR) का मानना है कि इन राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में ई-पंजीकरण को प्रमुखता दी जा रही है या फिर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने उपयोगकर्त्ता इंटरफेस/API के माध्यम से NGDRS के राष्ट्रीय पोर्टल पर अपना डेटा साझा करना शुरू कर दिया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- विशिष्ट भूमि खंड पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number- ULPIN) अथवा भू-आधार को 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अंगीकृत किया गया तथा 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इसको प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर लागू किया गया है।
- राज्य स्वामित्त्व पोर्टल में ULPIN का भी उपयोग कर रहे हैं। भू संसाधन विभाग भारत सरकार द्वारा शत- प्रतिशत वित्तपोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernisation Programme- DILRMP) को सुचारु रूप से लागू कर रहा है।
- ULPIN को 'भूमि की आधार संख्या' के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सामान्यतः भूमि-अभिलेख काफी पुराने एवं विवादित होते हैं। इससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
- इसके तहत भूखंड की पहचान, उसके देशांतर और अक्षांश के आधार पर की जाएगी जो विस्तृत सर्वेक्षण और संदर्भित भू संपत्ति-मानचित्रीकरण पर निर्भर होगी।
- यह वर्ष 2008 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernisation Programme- DILRMP) का अगला चरण है।
- ULPIN के माध्यम से उचित भूमि सांख्यिकी (Land Statistics) और भूमि लेखांकन (Land Accounting) के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है जो भूमि विकास बैंकों को विकसित करने में सहायक होगा तथा एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Information Management System- ILIMS) की ओर ले जाने में मदद करेगा।

- ULPIN द्वारा सभी प्रकार के लेन-देन में विशिष्टता सुनिश्चित की जा सकती है और भूमि रिकॉर्ड को समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।
- इससे संपत्ति के लेन-देन में एक कड़ी या तारतम्यता स्थापित की जा सकेगी।
- सिंगल विंडो (Single Window) के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड से संबंधित नागरिक सेवाओं का वितरण हो सकेगा।
- भूमि रिकॉर्ड डेटा को विभागों, वित्तीय संस्थानों और सभी हितधारकों के साथ साझा किया जा सकेगा।

केशवानंद भारती केस के 50 साल

समाचार पत्रों में क्यों?

पचास साल पहले, 24 अप्रैल, 1973 को, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य के एक ऐतिहासिक मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसने संसद और संविधान के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित किया।

त्वरित मुद्दा?

- 7-6 के फैसले से, सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि संविधान का "मूल ढांचा" अनुल्लंघनीय है, और संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- संविधान में संशोधन करने की 'संसद की शक्ति की सीमा' गणतंत्र के पहले दो दशकों में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि थी।
- मामलों की पहली कड़ी में अपने निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को निरंकुश के रूप में देखा, लेकिन बाद में यह दृष्टिकोण बदल गया।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और अन्य (27 फरवरी, 1967) में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और फैसला सुनाया कि संसद संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
- संसद ने इस फैसले के जबाब में संविधान में संशोधन करके, खुद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति देने के लिए और इसकी समीक्षा अदालतों द्वारा नहीं की जा सकती है के लिए एक संविधान में संशोधन किया।
- संशोधन करने की शक्ति का यह दायरा, विशेष रूप से जब संपत्ति का अधिकार (जो उस समय एक मौलिक अधिकार था) भूमि सीलिंग कानूनों से प्रभावित था, केशवानंद मामले में केंद्रीय चुनौती का विषय था।
- अपने बहुमत के फैसले में, अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करके उन्हें छीना नहीं जा सकता है। इसने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की विशाल शक्तियाँ थीं, और भूमि सीलिंग कानूनों को बरकरार रखा लेकिन इसने यह देखते हुए रेखा खींची कि कुछ हिस्से संविधान के लिए इतने अंतर्निहित और आंतरिक कि संसद भी इसे छू नहीं सकती है। अदालत ने फैसला सुनाया कि, संशोधन संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

- सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से किस प्रकार से बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को लागू किया है?
- दशकों से मूल संरचना सिद्धांत की बार-बार आलोचना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को चोट पहुंचाने, संसद की संप्रभुता को कम करने और न्यायिक समीक्षा के एक अस्पष्ट और व्यक्तिपरक रूप के रूप में की गई है।
- पिछली आधी शताब्दी में सिद्धांत के लागू करने की जांच से एक स्पष्ट पैटर्न का पता चलता है: हालांकि उच्चतम न्यायालय ने "बुनियादी ढांचे को कम से कम लागू किया है, इसने ज्यादातर उन संशोधनों को खारिज कर दिया है जहां न्यायिक शक्तियों को कम कर दिया गया है।

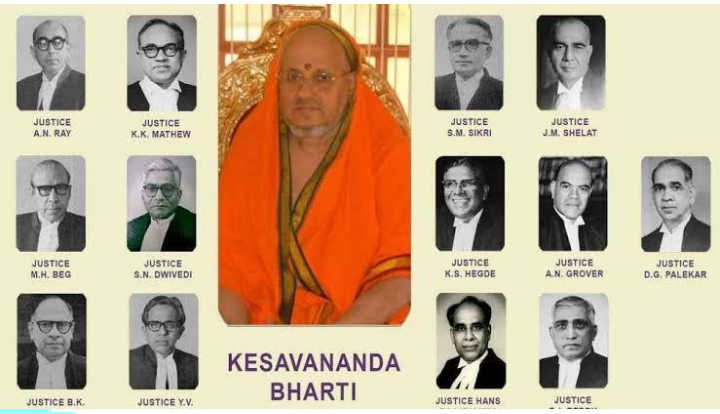

- उदाहरणस्वरूप: 1973 में, केशवानंद भारती के फैसले के वर्ष से अब तक संविधान में 60 से अधिक बार संशोधन किया गया है। इन पांच दशकों में, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 16 मामलों में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ संवैधानिक संशोधनों का परीक्षण किया है।
- इन 16 मामलों में से नौ में, सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संशोधनों को बरकरार रखा है जिन्हें मूल संरचना सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। इनमें से छह मामले आरक्षण से संबंधित हैं जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप - से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए कोटा और पदोन्नति में आरक्षण शामिल है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक बार एक संवैधानिक संशोधन को पूरी तरह से रद्द कर दिया है संविधान (99वां) अधिनियम, - 2014, जिसमें वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली की जगह, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC), वह निकाय जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता, की स्थापना का प्रावधान था। संशोधन को 2015 में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इससे " न्यायिक स्वतंत्रता" को खतरा है, जिसे अदालत ने संविधान की एक बुनियादी विशेषता बताया था।
- 1973 के बाद से छह उदाहरणों में, जिसमें स्वयं केशवानंद का फैसला भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक संशोधन को " आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इन सभी मामलों में, जिस प्रावधान को रद्द किया गया था, वह न्यायिक समीक्षा के खंडन से संबंधित था।
- इन छह फैसलों में से सिर्फ एक में एक संशोधन शामिल है जो कि इंदिरा गांधी युग के दौरान नहीं किया गया था किहोतो - होलोहन में, जो दसवीं अनुसूची से संबंधित था।
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू और अन्य (1992) वादः इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान (52वें संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा जिसने संविधान में दसवीं अनुसूची या तथाकथित "दल-बदल विरोधी कानून" पेश किया। संशोधन का केवल एक ही हिस्सा निरस्त किया गया था जिसमें कहा गया था कि अयोग्यता से संबंधित अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।
- केशवानंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य(1973) वाद: इस वाद में जबकि अदालत ने चुनौती दी गई भूमि सीलिंग कानूनों को बरकरार रखा, इसने 25वें संशोधन (1972) के एक हिस्से को खारिज कर दिया जिसमें कहा

गया था कि "यदि निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई कानून पारित किया जाता है तो इसे इस आधार पर शून्य नहीं माना जा सकता है कि यह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में निहित किसी भी अधिकार को छीन लेता है या कम कर देता है"।

- इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975) वाद: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार केशवानंद फैसले में निर्धारित सिद्धांतों को लागू किया। इसने संविधान (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 को रद्द कर दिया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की चुनौती पर सुनवाई करने से रोक दिया गया था।
- मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) वाद: इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 (संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया निर्धारित करता है) में डाले गए एक खंड, जिसमें कहा गया था कि "इस संविधान के प्रावधानों को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के लिए संसद की संवैधानिक शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी", को रद्द कर दिया था।
- पी संबमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1986) वाद: इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 32वें संशोधन (1973) के एक हिस्से को रद्द कर दिया, जिसने उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीनते हुए सेवा मामलों के लिए आंध्र प्रदेश के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया था।
- एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) वाद: इस वाद में शीर्ष अदालत ने 42वें संशोधन के एक हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा को छोड़कर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई थी।

जीनोम अनुक्रमण और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कहा गया, कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 10,000 भारतीय मानव जीनोम को अनुक्रमित करने और एक डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया लगभग दो-तिहाई पूरी हो गई है।

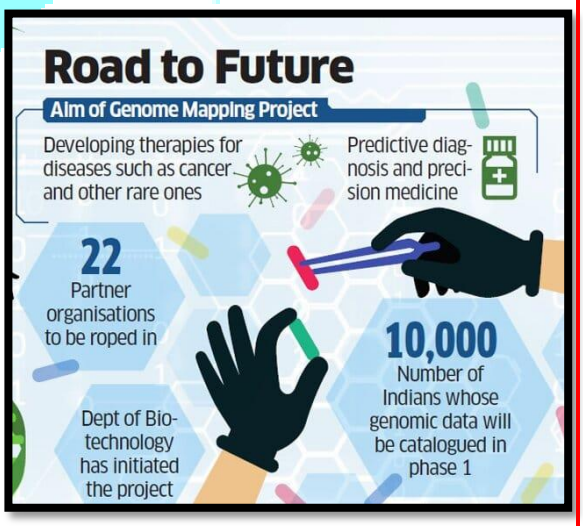

त्वरित मुद्दा?

- अब तक लगभग 7,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित किया जा चुका है, जिनमें से 3,000 शोधकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- जीनोम, किसी जीव के डीएनए का पूरा सेट होता है, जिसमें उसके सभी जीन शामिल होते हैं।
- जीनोम अनुक्रमण, किसी जीव के जीनोम के पूर्ण डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
- जीनोम अनुक्रमण में किसी जीव के DNA के भीतर न्यूक्लियोटाइड के क्रम का पता लगाया जाता है।

- इसके अंतर्गत DNA में मौज़ूद चारों क्षार - एडानीन (A), ग्वानीन (G), साइटोसीन (C) और थायमीन (T) के क्रम का आकलन किया जाता है।
- जीनोम अनुक्रमण का उपयोग, किसी जीव या वायरस में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल को समझने के लिए किया जाता है।
- जीनोम अनुक्रमण, उन जेनेटिक वेरिएंट्स के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो रोग का कारण बन सकते हैं या रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।
- जीनोम अनुक्रमण लोगों में पाये जाने वाले रोगों के लक्षणों और उनके प्रकार को समझने में भी सहायता करता है।
- जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से उत्पन्न ज्ञान, निदान और संभावित चिकित्सीय टीकों को विकसित करने में सहायता करता है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

मानव जीनोम परियोजना

- मानव जीनोम परियोजना एक सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान परियोजना है।
- इसे औपचारिक रूप से वर्ष 1990 में शुरू किया गया था, और 2003 में यह परियोजना पूर्ण हुई।
- इसका उद्देश्य, मानव डीएनए बनाने वाले रासायनिक आधार जोड़े के अनुक्रम का निर्धारण करना, और मानव जीनोम के सभी जीनों की पहचान और मानचित्रण करना है।

- जीनोम अनुक्रमण, यह अध्ययन करने में मदद करता है कि क्या अब तक विकसित टीके वायरस के ऐसे उत्परिवर्ती उपभेदों के खिलाफ प्रभावी हैं और क्या पुन: संक्रमण और संचरण को रोक सकते हैं।
- दवाओं की प्रभावशीलता या नशीली दवाओं के उपयोग के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानने की क्षमता जीनोम अनुक्रमण का एक और लाभ है।

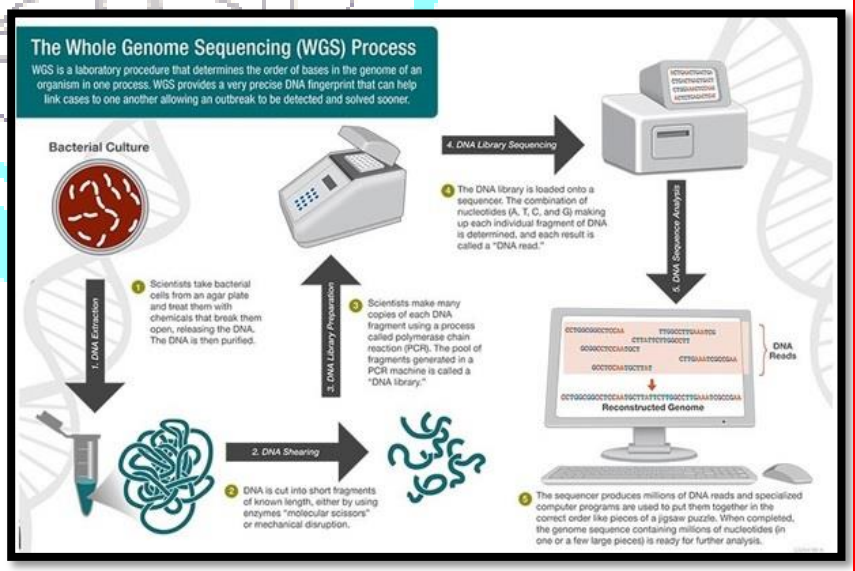

- जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत एक जीन मैपिंग परियोजना है।
- इसे भारतीय आबादी के बीच आनुवंशिक भिन्नताओं का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया।
- इस परियोजना का उद्देश्य, देश के विभिन्न क्षेत्रों के 10,000 से अधिक भारतीयों के जीनोम को अनुक्रमित करना और भारतीय आबादी के लिए एक संदर्भ जीनोम स्थापित करना है।
- यह भारत में वर्तमान में बढ़ रही पुरानी बीमारियों जैसे- मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार और कैंसर के आनुवंशिक आधारों को जानने में मदद करेगा।
- भारत की 1.3 अरब आबादी में लगभग 4,600 से अधिक जनसंख्या समूह शामिल हैं, जिनमें से कई अंतर्विवाही हैं।

- इस प्रकार, भारतीय आबादी अलग-अलग विविधताओं को आश्रय देती है, इनमें से कुछ समूहों के भीतर बीमारी पैदा करने वाले उत्परिवर्तन अक्सर बढ़ जाते हैं।
- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के अनुसार, दुनिया की अन्य आबादी से जनसंख्या-आधारित या रोग-आधारित मानव आनुवंशिकी अनुसंधान के निष्कर्षों को भारतीयों पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- भारतीय जीनोम का एक डेटाबेस बनाने से शोधकर्ताओं को भारत के जनसंख्या समूहों के लिए अद्वितीय आनुवंशिक रूपों के बारे में जानने और दवाओं और उपचारों को अनुकूलित करने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति मिलती है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट

- यह एक वैश्विक प्रयास है, जिसके तहत पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पादपों, वन्य जीवों, कवक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की डी.एन.ए. मैपिंग की जाती है। इसे वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था।
- इसमें 10 वर्षों में 1.8 मिलियन ज्ञात प्रजातियों की डी.एन.ए. मैपिंग तथा वर्ष 2022 तक लगभग 3000 प्रजातियों के आनुवंशिक अनुक्रमण (Genome sequencing) का लक्ष्य रखा गया है।
- आनुवंशिक अनुक्रमण से जैव विविधता की क्षति को कम करने, खाद्य फसलों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने तथा एक-कोशिकीय जीवों के अनुक्रमण में मदद मिलेगी।
- विभिन्न रिपोर्टों में, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण इस शताब्दी के अंत तक लगभग 50% जैव विविधता के क्षरण का अनुमान व्यक्त किया गया है। अतः वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के डी.एन.ए. अनुक्रमण की डिजिटल लाइब्रेरी आवश्यक है।